संख्या-ए-2011/9/2000-केहिप्रसं/ 2978

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7 वीं. मंजिल, अंत्योदय भवन,

सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स

लोदी रोड़, नई दिल्ली- 110003

दिनांक- 29-11-2023

आदेश

जबकि, श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक, उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में स्थाई रूप से दिनांक 30-06-2000 से तैनात थे। दिनांक 01-08-2007 से 03-04-2011 तक कुल 1341 दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण इस अवधि को डायजनान करार दिया गया, जिसे बाद में निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नियमन किया गया। आगे दिनांक 15-07-2013 से 14-02-2016 तक ढाई वर्ष असाधारण अवकाश (निजी मामले) पर रहे, फिर कुछ दिन उपस्थित तथा कुछ दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इससे पहले भी दिनांक 06-11-2009 को जांच अधिकारी द्वारा तीन नोटिस श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक को भारत व लंदन स्थित पतों पर भेजे गए लेकिन उनके द्वारा न ही इन नोटिस का कोई जवाब दिया, न ही उनके द्वारा कार्यालय से कोई संपर्क किया गया। यह दर्शाता है कि श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक सरकारी सेवा के प्रति लापरवाह और उदासीन हैं।

जबकि, श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक दिनांक 01-08-2017 से अब तक (दिनांक 29-11-2023 तक) लगातार 06 वर्ष, तीन महीने तथा 28 दिन से बिना कोई सूचना दिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इस दौरान श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक ने अपनी अनुपस्थिति की कोई सूचना किसी भी माध्यम से इस कार्यालय को नहीं दी है, जो एक जन सेवक होते हुए घोर अनुशासनहीनता है। अत: इसी अवधि में दिनांक 01-04-2008 से 31-03-2022 तक की अवधि के लिए ऑडिट, (महानिदेशक ऑडिट Internal Audit Wing, MHA (केंद्रीय व्यय), डी.जी.ए.सी. आर.) बिल्डिंग आई पी स्टेट, नई दिल्ली) द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवकाश नियमों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पणी की गई:-

" Moreover, Rules 12 of CCS (Leave) Rules provides that no leave of any kind can be granted for a continuous period exceeding 5 years except with the sanction of the President. Without a valid reason, a government servant who remains absent for continuous period exceeding 5 years other than foreign services, with or without leave. Should be deemed to have resigned from Govt. service."

लगातार पेज-2….

रामनरेश शर्मा

इसलिए अब उपरोक्त सी.सी.एस (अवकाश नियमावली) 1972 के नियम 12 के अनुसार श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक की अनधिकृत अनुपस्थिति (05 वर्ष से अधिक) के फलस्वरूप उन्हें, अवर श्रेणी लिपिक के पद से त्यागपत्र देना मानते हुए, तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त किया जाता है।

श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक, इस आदेश के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष, यह आदेश जारी होने की तिथि से तीस (30) दिन के अंदर अपील कर सकते हैं।

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक
हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा), नई दिल्ली

पृष्ठांकन संख्या- ए-20011/9/2000-केहिप्रसं/ 2979 **दिनांक:- 29-11-2023**

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, आर.के.पुरम
2. अवर सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली
3. श्री पंकज कुमार द्विवेदी, अवर श्रेणी लिपिक की व्यक्तिगत फाईल